"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2002—वैशाख 20, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मई 2002

क्रमांक 1206/942/2002/2/एक.—श्री पंकज द्विवेदी, भा. प्र. से. (ए. पी-1975) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग के अधीन प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्र, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2002

संशोधन

क्रमांक एफ-ए. 3-8/2001/साप्रवि/एक/(1).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के सरल क्रमांक

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

जोड़ा जाये :—

एम्बेसेडर कार वाहन-1

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 82/एस.आर.-58/बजट 5/वित्त/चार/2002 दिनांक 19-3-2002 द्वारा महालेखाकार, रायपुर को पृष्ठांकित की गई है.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2002

क्रमांक 574/837/2002/1-8/स्था.—श्री एस. व्ही. दाण्डेकर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री को दिनांक 13-12-2001 से 2-3-2002 तक 80 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 3-3-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश अवधि में उन्हें वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री दाण्डेकर यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2002

क्रमांक 1154/952/2002/4/एक.—श्री व्ही. के. कपूर, आयुक्त, कोष एवं लेखा को दिनांक 26-4-2002 से 4-5-2002 तक 9 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजानक अवकाश दिनांक 25-4-2002 एवं 5-5-2002 जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कपूर को आगामी आदेश तक आयुक्त, कोष एवं लेखा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री कपूर को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देंय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कपूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2002

क्रमांक 1179/964/2002/1/2/लीव/आईएएस.—श्रीमती निधि छिब्बर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया को दिनांक 29-4-2002 से 10-5-2002 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा साथ ही दिनांक 28-4-2002 एवं दिनांक 11 एवं 12 मई 2002 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती निधि छिब्बर को आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती निधि छिब्बर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निधि छिब्बर अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2002

क्रमांक 1181/933/2002/1/2/लीव/आईएएस..—श्री विकास शील, कलेक्टर, कोरिया को दिनांक 29-4-2002 से 10-5-2002 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा साथ ही दिनांक 28-4-2002 एवं दिनांक 11 एवं 12 मई 2002 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विकास शील को आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरिया के पद में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री विकास शील को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास शील अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री विकास शील के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री विवेक देवांगन, कलेक्टर, सरगुजा अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2002

क्रमांक 1209/827/साप्रवि/2002/1/2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1101/827/साप्रवि/2002/1/2, दिनांक 18-4-2002 द्वारा श्री अजय सिंह, सचिव, ऊर्जा विभाग को दिनांक 27 मई 2002 से 14 जून 2002 (19 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. श्री अजय सिंह के अवकाश काल में श्री विवेक ढांड, सचिव, आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, ऊर्जा विभाग का कार्य सम्पादित करेंगे. श्री सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक ढांड सचिव, ऊर्जा विभाग के कार्य से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2002

क्रमांक एफ 9-18/गृह/2002.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी 2002 को प्रश्न-पत्र प्रक्रिया प्रश्न-पत्र-2 (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	बिलासपुर-संभाग	
1.	श्री प्रकाश कुमार नेताम	वन क्षेत्रपाल
	बस्तर-संभाग	
2.	श्री बाल किशोर लकड़ा	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2002

क्रमांक एफ 9-22/गृह/2002.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी, 2002 को प्रश्न-पत्र सामान्य विधि प्रश्न पत्र 2 (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	रायपुर-संभाग	
1.	श्रीमती निर्मला लकड़ा	वन क्षेत्रपाल
2.	श्री समीर जौनाथन	वन क्षेत्रपाल
3.	श्री रामनाथ सोरी	वन क्षेत्रपाल
	बस्तर-संभाग	
4.	श्री बाल किशोर लकड़ा	वन क्षेत्रपाल

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2002

क्रमांक एफ 9-43/गृह/2002.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 1 फरवरी, 2002 को प्रश्न-पत्र "प्रक्रिया तथा लेखा प्रश्न पत्र-3" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	रायपुर-संभाग	
1.	श्रीमती निर्मला लकड़ा	वन क्षेत्रपाल
2.	श्री शंकरलाल ठाकुर	सहायक वन संरक्षक
3.	श्री भुनेश्वर सिंह ठाकुर	सहायक वन संरक्षक

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ 9-10/गृह/2002.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जनवरी 2002 को प्रश्न-पत्र "उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	निम्नस्तर रायपुर-संभाग	
1.	श्री भूपेन्द्र कुमार गौर	सहायक प्रबंधक

विभागीय परीक्षा माह जुलाई, 2002 का सूचना तथा कार्यक्रम

रायपुर, दिनांक 4 मई 2002

क्रमांक एफ 9-57/गृह/2002.—छत्तीसगढ़ के उन अधिकारियों को (जिनके लिए उनके विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2002 से रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर के आयुक्तों द्वारा नियत किए जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी :—

सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2002

क्र. (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल अधिनियम तथा नियम पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए.	
6.	दूसरा प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	
7.	दूसरा प्रश्नपत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्य-वेक्षकों के लिए.	

मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2002

क्र. (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
9.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-बी.	
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-सी.	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
13.	प्रश्नपत्र--खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न-पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनाएं ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व, भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए.	

बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2002

क्र. (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग, विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा."	
63.	स्विच गेयर तथा सरंक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित)राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा लेखा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा, भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
32.	समाजशास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि/सु) के लिए.	

गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई, 2002

क्र. (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
34.	प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
35.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिए.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा न्यायिक एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	

शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2002

क्र. (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए प्रश्नपत्र-भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खण्ड अधिकारी के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिए.	

(1)	(2)	(3)
51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए किसी मामले में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की "व्यवहारिक परीक्षा" (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि वन कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	
57.	प्रश्नपत्र तृतीय-अ.जा. तथा आदिवासी विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	

शनिवार, दिनांक 27 जुलाई, 2002

क्र. (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

नोट :—

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए 3 दिनांक 19-3-99 एवं एफ 3/102/90/दो-ए 3 दिनांक 8-5-91 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अंतर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिए कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जायेगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77-1/ह. आ. से दिनांक फरवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाणपत्र अपने विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

   इन प्रमाणपत्रों को गृह (सामान्य) विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजे जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ वे प्रमाणपत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 17 जून 2002 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाणपत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाणपत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाणपत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2002

क्रमांक एफ 1/58/जेल/2001.—राज्य शासन प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा 3 (1) सहपठित धारा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उप जेल बैकुंठपुर को उन्नयन कर जिला जेल के समकक्ष घोषित करता है.

Raipur, the 1st May 2002

No. F-1/52/Jail/2001.—The State Government under the powers conferred by section 3 (i) read with section 59 of the Prisons Act hereby upgrades Sub Jail Baikunthpur and declares it equivalent to District Jail

रायपुर, दिनांक 3 मई 2002

क्रमांक एफ-1-52/जेल/2001.—राज्य शासन, प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा 3 (1) सहपठित धारा-59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उप जेल जशपुर नगर को उन्नयन कर जिला जेल के समकक्ष घोषित करता है.

Raipur, the 3rd May 2002

No. F-1/52/Jail/2001.—The State Government under the powers conferred by Section 3 (i) read with Section 59 of the Prisons Act hereby upgrades Sub Jail Jashpur Nagar and declares it equivalent to District Jail

रायपुर, दिनांक 3 मई 2002

क्रमांक एफ-1-59/जेल/2001.—राज्य शासन, प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा 3 (1) सहपठित धारा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उप जेल राजनांदगांव को उन्नयन कर जिला जेल के समकक्ष घोषित करता है.

Raipur, the 3rd May 2002

No. F-1/59/Jail/2001.—The State Government under the powers conferred by Section 3 (i) read with Section 59 of the Prisons Act hereby upgrades Sub Jail Rajnandgaon and declares it equivalent to District Jail

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, संयुक्त सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2002

क्रमांक डी /1726/21-ब/(छ.ग.)/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2, सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरांत श्री निर्मल शुक्ल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

Raipur, the 2nd March 2002

No. D/1726/21-B/Chh./2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Shri Nirmal Shukla, Additional Advocate General of Chhattisgarh, Bilaspur as Additional Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he has assumed charge of his office.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2002

क्रमांक डी/1727/21-ब/(छ.ग.)/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरांत श्री रणवीरसिंह मरहास, शासकीय अधिवक्ता, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

Raipur, the 2nd March 2002

No. D/1727/21-B/Chh./2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Shri Ranveer Singh Marhas, Government Advocate of Chhattisgarh, Bilaspur as Additional Public Prosecutor for High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he has assumed charge of his office.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2002

क्रमांक डी/1728/21-ब (छ.ग.)/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरांत श्री अशोक वर्मा, उप-महाधिवक्ता, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

Raipur, the 2nd March 2002

No. D/1728/21-B/Chh./2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Shri Ashok Verma, Deputy Advocate General of Chhattisgarh, Bilaspur as Addl. Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he has assumed charge of his office.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2002

क्रमांक डी/1729/21-ब/(छ.ग.)/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरांत श्री संजय अग्रवाल, उप-महाधिवक्ता, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

Raipur, the 2nd March 2002

No. D/1729/21-B/Chh./2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Shri Sanjay Agrawal, Deputy Advocate General of Chhattisgarh, Bilaspur as Addl. Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he has assumed charge of his office.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2002

क्रमांक डी/1730/21-ब/(छ.ग.)/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरांत श्री दीप केशरवानी, शासकीय अधिवक्ता, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

Raipur, the 2nd March 2002

No. D/1730/21-B/Chh./2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Shri Deep Kesharwani, Government Advocate of Chhattisgarh, Bilaspur as Addl. Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he has assumed charge of his office.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2002

क्रमांक डी./1731/21-ब/(छ.ग.)/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरांत श्री पी. शाम कोशी, शासकीय अधिवक्ता, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

Raipur, the 2nd March 2002

No. D/1731/21-B/Chh./2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Shri P. Sam Koshi, Government Advocate of Chhattisgarh, Bilaspur as Addl. Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he has assumed charge of his office.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2002

क्रमांक डी/1732/21-ब/(छ.ग.)/2002.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श उपरांत कु. शर्मिला सिंघई, उप-शासकीय अधिवक्ता, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

Raipur, the 2nd March 2002

No. D/1732/21-B/Chh./2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint Ku. Sharmila Singhai, Deputy Government Advocate of Chhattisgarh, Bilaspur as Addl. Public Prosecutor for the High Court of Chhattisgarh in respect of cases arising in the State of Chhattisgarh with effect from the date he has assumed charge of his office.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. जैन, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2002

क्रमांक 1534/2791/21-ब/(छ.ग.).—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 5166/11-15-21/2000 (छ.ग.) दिनांक 24-11-2001 के परिप्रेक्ष्य में श्री बी. आर. दोहरे, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, जांजगीर का उक्त पद से त्यागपत्र दिनांक 22-10-2001 के पूर्वान्ह से स्वीकृत करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 18 फरवरी 2002

क्रमांक 258/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	पाल	रामानुजगंज	0.093 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) अंबिकापुर.	रामानुजगंज वाड्रफनगर मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 14 मार्च 2002

क्रमांक 3 अ-82/भू-अर्जन/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	जगन्नाथपुर	0.84 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	परशरामपुर जलाशय योजना के डूबन क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 29 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/27/अ-82/93-94/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घरमाऊर, प.ह.नं. 62
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.991 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
120/1	0.032
115/1 क	0.069
121	0.061
62/1	0.069
25/2	0.121
50/3	0.093
131/2	0.040
131/7	0.044
85/3	0.024
89/5 ग	0.077
131/9	0.169
112/1	0.149
114/1	0.101
115/1 ग	0.085
89/5 क	0.036
85/1	0.008
113, 131/5	0.028
111	0.061
78/1 ग	0.044
105/1 ख	0.052
89/5 ख	0.020
68/6	0.044
89/6	0.069
82	0.117
85/2	0.092
76/4	0.024
78/1 ख	0.263
75/1	0.287
74/1 ख	0.020
76/2	0.008
22/46	0.056
76/3	0.214
74/1 ग	0.048
74/1 क	0.125
70	0.040
69	0.040
68/2	0.052
68/3	0.065
68/5	0.040
68/6	0.040
50/7	0.085
50/4	0.036
51/2, 52	0.061
22/3 च	0.020
22/3 ग	0.012
22/2 ग	0.068
62/2	0.068
50/2	0.032
131/10	0.020
योग	2.991

(1) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-भालूगुड़ा उद्‌वहन सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.